न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– नरेश कुमार शर्मा
आई0ए0एस0

रेफरेंस सं0 56/2010
सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) तहसील महवा जिला दौसा .. प्रार्थी

बनाम

प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, गगवाना तहसील महवा जिला दौसा .. अप्रार्थी

रेफरेंस अन्तर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम–1956
सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

उपस्थितः 1. श्री चंद्रशेखर शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 11.10.2017

संक्षिप्त विवरण प्रा0 पत्र रेफरेंस इस प्रकार है कि तहसीलदार महवा ने ग्राम गगवाना तहसील महवा स्थित भूमि 1203/1 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा किस्म जमीन गै0मु0 तलाई संवत 2004 में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने से रेफरेंस हेतु निवेदन किया है।

प्रा0पत्र रेफरेंस दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी को जारी नोटिस बाद तामिल पत्रावली में शामिल किया गया। अप्रार्थी अनुपस्थित।

राजकीय अधिवक्ता की इकतरफा बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन पत्रावली के अवलोकन से निम्न तथ्य प्रकट होते है–

1. ग्राम गगवाना तहसील महवा स्थित भूमि 1203/1 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा किस्म जमीन गै0मु0 तलाई संवत 2004 में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रिकॉर्ड थी।

2. भू–प्रबंध विभाग द्वारा भूमि की किस्म परिवर्तन कर देने के कारण आवण्टन अधिकारी के आदेश दिनांक 21.11.75 द्वारा भूमि खसरा नंबर 323 रकबा 5 बीघा

भूमि का आवंटन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, गगवाना तहसील महवा के आवंटित करदी गई। उक्त आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 125 दिनांक 21.11.75 उक्त आवंटी के नाम गैर खातेदारी दर्ज कर दिया गया।

3.वर्तमान जमाबंदी संवत 2062–65 खाता सं0 270 में उल्लेखित भूमि ख0नं0 1299 रकबा 0.21, 1399/2145 कबा 0.02, 1303/2146 रकबा 0.02 एवं 1127/2149 रकबा 0.03 कुल किता 4 कुल रकबा 0.28 गै0मु0 स्कूल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गगवाना के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

3. राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 16 के तहत गै.मु.तालाब, नदी, नाले व जलोट भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते । आवंटन आदेश व खातेदारी अधिकार अवैद्य होने से प्रभाव शून्य है।

4. मा0 उच्च न्यायालय द्वारा डी0बी0 रिटपिटिशन 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे पारित आदेश के अनुसार सरकार की मंशानुसार जलोढ भूमि को पूर्व की स्थिति में लाये जाने के लिए कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

अतः तहसीलदार महवा द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस स्वीकार किया जाता है। मा0 न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स प्रेषित करे। संबंधित पक्षकारान न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष दिनांक 19.12.2017 को सुनवाई हेतु उपस्थित हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांकः 11 अक्टूबर, 2017 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा